कोहली, हर्षित की पारियों ने किया रोमांचित, हार से मायूस हो गए क्रिकेटप्रेमी

होलकर स्टेडियम में भारत की पहली हार

सीएम ने दिव्यांग की पूरी की इच्छा

सीएम मोहन यादव ने एक बार फिर साबित किया है कि वे जनता के दिलों पर क्यों राज करते हैं. उनका मन जनता की एक आवाज पर पसीज जाता है. दरअसल, एक दिव्यांग ने प्रदेश के मुखिया से जब ये कहा कि उन्हें भारत-न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में हो रहे मैच को मैदान से लाइव देखना है, लेकिन टिकट का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो ये सुनते ही सीएम डॉ. यादव ने बिना कोई देर किए उनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया. दिव्यांग ने ये अपील वीडियो के जरिये की थी। इच्छा पूरी होने के बाद दिव्यांग ने सीएम डॉ. यादव को धन्यवाद भी दिया.

इंदौर. होलकर स्टेडियम में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए निर्णायक मुकाबला में क्रिकेट प्रेमियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. भारतीय टीम की होलकर स्टेडियम पर यह पहली हार रही. बावजूद इसके विराट कोहली की शतकीय और नितीश कुमार रेड्डी व हर्षित राणा की आतिशी अर्द्धशतकीय पारी ने मैच में रोमांच बनाए रखा. इस दौरान दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, लेकिन मुकाबला हारने के बाद क्रिकेटप्रेमी मायूस हो गए.

रविवार सुबह होलकर स्टेडियम के बाहर का क्षेत्र में खासी चहल पहल रही. मैच भले ही दोपहर में था लेकिन सुबह से ही स्टेडियम के बाहर दर्शकों की भीड़ जुटने लगी थी. बड़ी संख्या में क्रिकेटप्रेमी परिवार और दोस्तों के साथ मैच देखने पहुंचे थे. चहेते खिलाड़ियों की एक झलक के लिए घंटों खड़े रहे. वहीं स्टेडियम के बाहर भारत की जर्सी, तिरंगे और पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम-नंबर वाली टी-शर्ट की जमकर बिक्री हुई. फैंस के भी खास अंदाज देखने को मिले. कोई चहेते खिलाड़ियां का पोर्ट्रेट बनाकर लाया तो किसी ने 500 किमी बाइक चलाकर मैच देखने की चाहत पूरी की.

प्रवेश करने के लिए लगी कतारे=दर्शकों को प्रवेश करने में करने में काफी समय लग रहा था. जिसके कारण कतारें लंबी होती चली गई. हर दर्शक की सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रवेश द्वारों पर चेकिंग की जा रही थी. कई प्रवेश द्वारों पर तो खूब धक्का-मुक्की हुई. जल्द स्टेडियम में प्रवेश के लिए प्रशंसक धक्का-मुक्की करते देखे गए.

कोहली, रोहित के फैंस ज्यादा पहुंचे- भारतीय पारी बाद में होने के कारण कई दर्शक देर शाम तक स्टेडियम में प्रवेश करते रहे. क्रिकेट के सितारा खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली के दिवाने सबसे ज्यादा देखने को मिले. इनकी टी-शर्ट भी खूब बिकी. महिलाएं भी खिलाड़ियों के नामों वाली टी-शर्ट पहनकर आई थी.

पुलिस, प्रशासन रहा सतर्क

मैच से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने होलकर स्टेडियम परिसर, प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग स्थल सहित आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया. अधिकारियों को भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए थे। स्टेडियम के भीतर-बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे.

माहौल देखने भी पहुंचे

बड़ी संख्या में युवा अपने चहेते क्रिकेट प्रेमियों की एक झलक देखने के लिए पहुंचे. जिन लोगों को टिकट नहीं मिला था वे स्टेडियम के बाहर माहौल देखने पहुंचे. इस दौरान कई लोग ब्लैक में टिकट खरीदने की जुगाड़ लगाते रहे

युवतियां भी बड़ी संख्या में पहुंची

क्रिकेट का बुखार सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं चढ़ता अब महिलाएं भी क्रिकेट सितारों को देखने बड़ी संख्या में पहुंची. छुट्टी होने के कारण छोटे बच्चों में भी मैच देखने का खासा उत्साह नजर आया.

एक फैन बाइक से नागपुर से आया- कोहली का एक ऐसा फैन जो मैच देखने के लिए नागपुर से बाइक पर इंदौर आया. सचिन ठाकुर नामक इस फैन ने बताया कि वे बाइक चलाने के पूरे गेटअप में ही मैच देखते है. मैं काफी समय से विराट को फालो कर रहा हूं. मेरा गेटअप में मैच देखने का उद्देश्य है कि जो लोग हेलमेट पनकर गाड़ी नहीं चलाते उनके लिए संदेश है

बालिकाओं को छात्रवृत्ति वितरण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी

कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन का स्वर्ण जयंती महोत्सव का आगाज़

इंदौर. कोल्ड चेन सेक्टर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित दो दिवसीय स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया. पहले दिन उद्योग, सेवा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों ने आयोजन को विशेष बना दिया.

कार्यक्रम में कोल्ड स्टोरेज में कार्यरत कर्मचारियों की बालिकाओं को नर्सरी से लेकर विभिन्न कक्षाओं तक की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई. शाम के सत्र में एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) आयोजित की गई, जिसमें प्रदेशभर से आए सदस्यों ने भाग लिया. बैठक में उद्योग से जुड़ी चुनौतियों, बढ़ती बिजली लागत, पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस को कम करने और किसानों को कोल्ड चेन नेटवर्क से सीधे जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई.

महोत्सव का उद्देश्य आधुनिक कोल्ड स्टोरेज को बढ़ावा देना

इसके पश्चात आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने आयोजन में उत्साह वातावरण बना दिया. एसोसिएशन के अध्यक्ष हसमुख जैन गांधी, सचिव श्री बाबूलाल चौधरी, समन्वयक इंजीनियर जगदीश पटेल एवं सहसचिव अजीत वाधवानी ने बताया कि स्वर्ण जयंती महोत्सव का उद्देश्य आधुनिक कोल्ड स्टोरेज तकनीक को बढ़ावा देना और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में ठोस पहल करना है. महोत्सव के दूसरे दिन 19 जनवरी को कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी नवीनतम मशीनरी एवं आधुनिक तकनीक की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी रहेंगे। इस अवसर पर एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई डायरेक्टरी का विमोचन भी किया जाएगा.

कंपनी का चोर गार्ड पुलिस हिरासत में

इंदौर. तिलकनगर थाना क्षेत्र की एक निजी कंपनी में मटेरियल ऑडिट के दौरान चोरी का खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया कि कंपनी में तैनात गार्ड ही समय-समय पर सामान चुराता रहा.

तिलक नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया कि रिंग रोड स्कीम-94 स्थित जानंसन लिफ्ट ग्लोबल पैराडाइज कंपनी में ऑडिट किया था, जिसमें स्टोर से कई सामग्री कम मिली. शक होने पर जब परिसर और स्टोर के सीसीटीवी कैमरे देखे गए तो फुटेज में गार्ड पवन गाडगे चोरी करते नजर आया. आरोपी ने फिलर वेट लीड, वेट फॉर लोड टेस्ट, 10 किलो के फिलर वेट, ब्रेक क्राइल, ट्रांसफार्मर, व्हील शाफ्ट और आरआर क्राइल समेत करीब 80 हजार रुपये का माल चोरी किया. कंपनी प्रतिनिधि दीपक सनोटिया की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरी गए सामान की बरामदगी और पूछताछ की जा रही है.

विशेषज्ञों ने आधुनिक दंत चिकित्सा पर अनुभव साझा किए

आईडीए मध्यप्रदेश राज्य दंत सम्मेलन का समापन

इंदौर. इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) मध्यप्रदेश स्टेट द्वारा आयोजित 43वां आईडीए एमपी स्टेट डेंटल कॉन्फ्रेंस 2026 का समापन रविवार को ज्ञानवर्धक सत्रों के साथ हुआ. इंदौर स्थित होटल एसेंशिया लग्ज़री में आयोजित इस तीन दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन के अंतिम दिन देशभर से आए प्रख्यात दंत विशेषज्ञों ने आधुनिक दंत चिकित्सा से जुड़े नवीनतम विषयों पर अपने अनुभव साझा किए.

ग्रैंड बॉल रूम हॉल एवं ऑर्किड हॉल में समानांतर वैज्ञानिक सत्रों का आयोजन किया गया. ग्रैंड बॉल रूम हॉल में डिजिटल डेंचर्स, ग्राफ्ट-लेस इम्प्लांटोलॉजी, डेंटल लेज़र, रूट परफोरेशन डिफेक्ट्स तथा क्लियर अलाइनर्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान हुए. वहीं ऑर्किड हॉल में फेशियल एस्थेटिक्स, डे-टू-डे इम्प्लांट सर्जरी, फिक्स्ड डेंटल प्रोस्थेसिस के लिए मटीरियल चयन, इमीडिएट लोडिंग प्रोटोकॉल, स्माइल डिज़ाइनिंग, पेनलेस इंजेक्शन एवं इम्प्लांट फेल्योर मैनेजमेंट जैसे व्यावहारिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई. दोपहर में डेंटल ऑफिस में आपातकालीन प्रबंधन विषय पर एक विशेष पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ दंत चिकित्सकों ने क्लिनिक में आने वाली आपात स्थितियों से निपटने के प्रभावी तरीकों पर मार्गदर्शन दिया.

क्लिनिकल डेमो प्रस्तुत किए

टेल-शो-डू सत्र के अंतर्गत क्लिनिकल डेमो प्रस्तुत किए गए, जिन्हें प्रतिभागियों ने दैनिक प्रैक्टिस में अत्यंत उपयोगी बताया. इसके पश्चात एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा (एजीएम) एवं इंटर कॉलेजिएट क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न दंत महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. सम्मेलन के आयोजन में आयोजन समिति के चेयरमैन डॉ. सुमित जैन, आयोजन सह-अध्यक्ष डॉ. अमित रावत, आयोजन सचिव डॉ. आदित्य मंगल, साइंटिफिक इंचार्ज डॉ. मधुर नवलानी, डॉ. योगेन्द्र साबू, डॉ. सुरुचि सिसोदिया, डॉ. सत्यजीत, डॉ. शालीन खेत्रपाल एवं डॉ. स्वर्णजीत गंभीर सहित पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

वरिष्ठ पत्रकार उमेश रेखे नहीं रहे, शवयात्रा आज

इंदौर. मप्र के वरिष्ठतम पत्रकार-इंदौर निवासी उमेश रेखे (87) का लंबी बीमारी पश्चात निधन हो गया. कई अखबारों में करीब सात दशक से अधिक समय सिटी रिपोर्टर रहे उमेश रेखे स्वस्थ रहने तक शहर की नब्ज से वाकिफ रहते थे. वर्षों पहले सक्रिय पत्रकारिता से दूर होने के बावजूद शहर और प्रदेश से जुड़ी घटनाओं पर अपनी राय से अपने पत्रकार मित्रों को अवगत कराने के साथ ही वे पत्रकार परिवारों को शासन से मदद के लिये सक्रिय रहे. इंदौर प्रेस क्लब सहित प्रदेश की कई संस्थाओं से सम्मानित उमेश रेखे अपने पीछे पत्नी, दो पुत्र, पुत्री सहित भरापूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनकी अंतिम यात्रा आज सुबह 10 बजे ब्रिलियंट कन्वेंशन क्षेत्र स्थित निवास से निकलेगी। अंतिम संस्कार रामबाग स्थित मुक्तिधाम पर किया जाएगा.

सूने मकान का ताला तोड़कर डेढ़ लाख चुराए

इंदौर. छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात बदमाश ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि आदर्श इंदिरा नगर, शिव मंदिर के पीछे रहने वाले नितिन कछावा ने शिकायत की कि रात से सुबह के बीच उनके मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे बदमाश ने अलमारी में रखी पॉलिथिन से एक वोटर आईडी कार्ड और 1 लाख 49 हजार रुपये नकद चुरा लिए. सूचना पर पहुंची पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात आरोपी की तलाश कर रही है.

राज्य स्तरीय नि:शुल्क प्रांतीय प्लास्टिक सर्जरी कैम्प अगले महीने

इंदौर. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, इंदौर संभाग ने जानकारी दी है कि स्वर्णिम फाउंडेशन द्वारा 08 फरवरी 2026 को इंदौर में प्रांतीय स्तर का निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैम्प आयोजित किया जायेगा। निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कैम्प में अमेरिका से आए विशेषज्ञ डॉक्टर एवं सर्जन मरीजों की जाँच करेंगे। मरीजों की जाँच सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जाएगी। जाँच के बाद चयनित मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन वर्मा यूनियन हॉस्पिटल, इंदौर में किए जाएंगे। ऑपरेशन के दौरान मरीज के साथ एक अटेंडर के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था भी की गई है।

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, इन्दौर संभाग इन्दौर

जावक क्रमांक - 35/SAC/RES/2026 — इन्दौर दिनांक 13/01/2026

निविदा सूचना क्रमांक 09/2025-26

म.प्र. के राज्यपाल की ओर से निम्नांकित कार्य हेतु मोहर बंद प्रतिशत दर निविदायें फार्म 'ए' पर लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीयकृत प्रणाली में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्न तालिका में अंकित निर्माण हेतु, सिविल कंस्ट्रक्शन, सेनेटरी फिटिंग एवं वाटर सप्लाई कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) एवं विद्युतीकरण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.01.2024 से लागू दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) के आधार पर संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय में निर्धारित निविदाए विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक तक संशोधित, के आधार पर संबंधित कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यालय में दिनांक 27/01/2026 को दोपहर 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 23/01/2026 तक कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग इन्दौर कार्यालय से समय 5:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है।

क्र.	कार्य का नाम	निर्माण स्थल	विकास खण्ड	अनुमानित लागत प्रति	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मुल्य	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	आमंत्रण का क्रम	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण (अतिरिक्त कार्य) ग्राम सिंदोडी ग्राम पंचायत नरलाय में, वि.ख. इन्दौर (विधायक निधि)	सिंदोडी	इन्दौर	0.80	1600	1000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
2	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण (अतिरिक्त कार्य) ग्राम मुण्डला दोस्तदार ग्राम पंचायत मुण्डला दोस्तदार, वि.ख. इन्दौर (विधायक निधि)	मुण्डला दोस्तदार	इन्दौर	0.74	1480	1000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
3	पेवर्स ब्लाक लगाना हेतु वार्ड क्र. 65 अंतर्गत खातीवाला टेंक स्थित सार्वजनिक हरमल रिझवानी उद्यान इन्दौर (विधायक निधि)	खातीवाला टैंक	इन्दौर	0.84	1680	1000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
4	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण वार्ड क्र. 75 हिम्मत नगर पालदा में दिव्य किराना स्टोर से निरंजन काठिवाड के घर तक नगरीय क्षेत्र इन्दौर (विधायक निधि)	हिम्मत नगर पालदा	इन्दौर	3.36	6720	2000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
5	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण ग्राम कलारिया ग्राम पंचायत कलारिया में विद्याधर बैरागी जी के घर से मुक्तिधाम मार्ग तक वि.ख. इन्दौर (विधायक निधि)	कलारिया	इन्दौर	6.80	13600	2000	चार माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
6	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण ग्राम कलारिया ग्राम पंचायत कलारिया में दिनेश सेन के घर से जीवन पटेल घर तक एवं राधेश्याम जी के घर से गोविंद दुधवाले के घर तक वि.ख. इन्दौर (विधायक निधि)	कलारिया	इन्दौर	4.65	9300	2000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
7	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण ग्राम कलारिया ग्राम पंचायत कलारिया में बंटी के घर से कलारिया पिथमपुर मेन रोड तक वि.ख. इन्दौर (विधायक निधि)	कलारिया	इन्दौर	6.80	13600	2000	चार माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
8	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण ग्राम सिदोडा में इंदर चौधरी के मकान से नावदापंथ रंगवासा मुख्य मार्ग तक, वि.ख. इन्दौर (विधायक निधि)	सिंदोडा	इन्दौर	8.15	13600	2000	चार माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
9	सीमेंट कांक्रीट मार्ग निर्माण ग्राम सिंदोडा ग्राम पंचायत सिंदोडा में हरि के मकान से ललिता कुशवाह के मकान तक वि. ख. इन्दौर (विधायक निधि)	सिंदोडा	इन्दौर	2.52	5040	2000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
10	सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम नरलाय ग्राम पंचायत नरलाय में नई आवास मोहल्ले में वि.ख. इन्दौर (विधायक निधि)	नरलाय	इन्दौर	8.42	16840	2000	चार माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
11	सी.सी. रोड निर्माण (सडक सीमेंटीकरण) वार्ड क्र. 65 जीवनदीप कालोनी स्थित हाडिया निवास से मकान न 31 तक इन्दौर (विधायक निधि)	जीवनदीप कालोनी	इन्दौर	4.03	8060	2000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
12	सी.सी. रोड निर्माण (सडक सीमेंटीकरण) वार्ड क्र. 71 अंतर्गत द्रविड नगर स्थित परग बेकरी के सामने वाली गली इन्दौर (विधायक निधि)	द्रविड नगर	इन्दौर	4.53	9060	2000	दो माह	प्रथम	केन्द्रीकृत सी श्रेणी एवं उच्च
	योग :-			51.64					

नोट : विस्तृत निविदा का अवलोकन कार्यालयीन समय पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, इन्दौर संभाग इन्दौर

G24538/25

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (सुरक्षित और असुरक्षित ऋण व्यवसाय प्रभाग)

(मुथूट पप्पाचन समूह की कंपनी) CIN : U65929KL1997PLC011518
प्रशासनिक कार्यालय : 710-ए एवं 711-ए, सातवीं मंजिल, फेस-2, स्पेंसर प्लाजा, माउंट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई-600 002
पंजीकृत कार्यालय : मुथूट सेन्टर, टीसी नं. 27/3022, पुन्नेन रोड़, त्रिवेन्द्रम, केरला - 695 001

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, **मुथूट फिनकार्प लिमिटेड (एमएफएल)** के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों), ग्यारंटर(रों) से संपूर्ण बकाया राशि, अद्यतन ब्याज, लागत और प्रभारों के साथ, उनको जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ओं) और वैकल्पिक तामील के लिए नीचे दिए अनुसार सूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने हेतु, कम्पनी के प्रति उनकी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन की मांग की गई थी। उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) द्वारा ऋण की सम्यक वापसी के लिए प्रतिभूमि के रुप में क्रमशः निम्नलिखित आस्तियां **एमएफएल** के पास बंधक रखी गई है।

क्रं.	ऋणी/सह-ऋणी/ जमानतदार का नाम	मांग सूचना कि तिथि एनपीए तिथि	कुल बकाया राशि	सुरक्षित संपत्ति(यों)/अचल सम्पत्ति (यों) का विवरण
1.	**ऋण खाता नं. MFLMPDSECUL000005008085 राधेश्याम जायसवाल पिता मांगीलाल (ऋणी) अनीता बाई पति राधेश्याम जायसवाल (सह-ऋणी) दोनों निवासी :** ग्राम बाड़ी पोस्ट- रतनपुर, बाड़ी तहसील- झिरनिया खरगौन लैण्डमार्क ग्राम बाड़ी खम्मम खण्डवा मध्य प्रदेश- 451332 **दोनों का आवासीय एवं संपत्ति का पता**- म.न. पटवारी हल्का नं. 45, बंदोबस्त नं. 157 ग्राम बाड़ी तहसील झिरनिया जिला खरगौन (म.प्र.) 451001	**07.01.2026 03.01.2026**	**Rs. 22,46,311.29** (रु. बाईस लाख छियालिस हजार तीन सौ ग्यारह एवं उन्नतीस पैसे मात्र) दिनांक 06.01.2026 तक	संपत्ति का पता- म.नं. पटवारी हल्का नं. 45, बंदोबस्त नं. 157, ग्राम बाड़ी तहसील झिरनिया जिला खरगौन (म.प्र.) 451001 एवं **चतुर्सीमाएँ :** उत्तर : रोड़; दक्षिण : लखन की संपत्ति; पूर्व : कॉमन रोड़; पश्चिम : नीला बाई का मकान

यदि उक्त कर्जदार, सह-कर्जदार एवं गारंटर **एमएफएल** को उपरोक्तनुसार भुगतान करने में विफल रहेगें, **एमएफएल** उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत आस्ति का कब्जा लेने और कानून के अधीन कम्पनी को उपलब्ध अन्य कार्यवाही करने का हकदार होगी, जिसकी लागत और परिणामों की जोखिम के लिए उक्त कर्जदार पूर्ण रुपेण जिम्मेदार होंगे।

उक्त कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) पर सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रावधान के तहत, **एमएफएल** की पूर्व लिखित सहमति के बिना, उपरोक्त प्रतिभूति आस्ति(यों) का ब्रिकी, पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तांरण करने के संबंध में रोक लगी है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
फॉर - मुथूट फिनकार्प लिमिटेड

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 19.01.2026

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED
पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013.
सर्किल ऑफिस पता : 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित. नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) (उक्त उधारकर्ता(ओं)) को, उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय है. ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं.

स. क्र.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(लोन अकाउंट नंबर LNHLRAT000096966 (पुराना) 51200000905983 (नया)) (रतलाम ब्रांच) श्री राजेंद्र रंगशाही (कर्जदार) श्रीमती मधुलिका रंगशाही (सह-कर्जदार)	08.01.2026 रु. 25,01,800/- (5.1.2026 तक)	वह पूरी ज़मीन और बिल्डिंग जो प्लॉट नंबर 318 पर स्थित है, सर्वे नंबर 150/51, 150/47/2, 150/16, 150/64, 150/70 और 150/46 का हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, रिद्धि सिद्धि एवेन्यू, गाँव, विरियाखेड़ी, रतलाम, मध्य प्रदेश-457001. जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- उत्तर- प्लॉट नंबर 317, दक्षिण- प्लॉट नंबर 319, पूर्व- सड़क, पश्चिम- प्लॉट नंबर 373.

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकर्ताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी. उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत पूर्वोक्त परिसंपत्तियों को सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टेया अन्यथा के माध्यम से स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा.

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 19/1/2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
रतलाम शाखा: ग्राउंड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम - 457001 (मध्य प्रदेश)
प्राधिकृत अधिकारी : दीपक मालवीय, मोबाइल नंबर 7583898990

निजी संधि के माध्यम से सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत संपत्ति की बिक्री के हेतु सूचना

चूँकि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। और चूँकि प्राधिकृत अधिकारी ने पहले ई-नीलामी नोटिस जारी किए थे लेकिन कोई सफल बोलीकर्ता को आकर्षित नहीं कर सका, और अब उसने नीचे दी गई सुरक्षित संपत्ति को निजी समझौते के माध्यम से विक्रय करने का फैसला किया है। प्राधिकृत अधिकारी को इस संबंध में कुछ इच्छुक व्यक्तियों से सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत अधिकारी एतद्द्वारा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 एवं 9 के संदर्भ में उपरोक्त संपत्ति की निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए आम तौर पर उधारकर्ताओं को यह नोटिस दे रहा है। खाते का विवरण इस प्रकार है:

क्रं.	लोन कोड नं./शाखा	ऋणी/सह-ऋणी का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	आरक्षित मूल्य (RP)	कुल बकाया ऋण राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण
1.	**लोन नं.** 02210000195 / **रतलाम शाखा)**	**मुकेश** (ऋणी) **नितेश एवं सोहन बाई** (सह-ऋणी)	**09-05-2025 & ₹ 7,47,760/-**	**₹ 8,50,000/-**	**₹ 8,52,860/- दिनांक 23-12-2025 तक**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, रतन विहार कॉलोनी जावरा रोड वार्ड नंबर 1 प्लॉट नंबर ए - 33 ताल तहसील ताल जिला रतलाम रतलाम म.प्र.457118 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - रोड, पश्चिम - प्लॉट नं. ए -47, उत्तर - प्लॉट नं. ए -32, दक्षिण - प्लॉट नं. ए -34

यह सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 15 दिन का बिक्री नोटिस जो उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता एवं जमानतदार को दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है और जिसका भौत